वादपत्र संख्या 227/2015

प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

1. प्रेमी पत्नी स्व. री किशन पुत्र कान्हाराम जाति मेघवाल निवासी कालियां
2. नीतू उर्फ भागवंती पुत्री किशन पत्नी किशन जाति मेघवाल निवासी कालियां
3. चक्कू बाई उर्फ शकुंतला पुत्री किशन पत्नी भोजराज जाति कुम्हार निवासी कालियां तह0 व जिला श्रीगंगानगर

.....अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत कालियां तह0 श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कालियां तह. श्रीगंगानगर
2. मूली पत्नी खोतूराम, पुत्री रेशमी बेवा कान्हाराम जाति मेघवाल निवासी कालियां तह. श्रीगंगानगर
3. लोगाबाई पुत्री कान्हाराम पत्नी आत्माराम जाति मेघवाल निवासी कालियां तह. श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी जयपुर
4. अमकु पुत्री कान्हाराम पत्नी द्वारकाराम जाति मेघवाल निवासी कालियां तह. श्रीगंगानगर
5. फुलवंती उर्फ जेठी पुत्री कान्हाराम पत्नी भागीरथ मेघवाल निवासी कालियां तह. श्रीगंगानगर
6. सुन्दराबाई पुत्री कान्हाराम पत्नी सुमारराम मेघवाल निवासी कालियां तह. श्रीगंगानगर

.....रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री चरणदास कम्बोज अधिवक्ता (अपीलार्थीगण)
श्री जी. के. लाल (रेस्पोडेंट्स)

दिनांक 09 अप्रेल, 2018

– निर्णय –

प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार अपीलार्थीगण द्वारा श्रीमान् न्यायालय में एक अपील ग्राम पंचायत कालियां के द्वारा तस्दीक किये गये गलत इंतकाल नं. 483/20.04.2007 के खिलाफ जो मृतक कान्हाराम पुत्र धर्माराम की भूमि चक 3 जी बडी के मुरबा नम्बर 17 के 6.200 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वसीयत के आधार पर ना करके गलत तौर से विरास्तन रेस्पोडेंट्स–2 ता 6 के हम में किया गया के खिलाफ 28 मई, 2008 को पेश की जो कि विचाराधीन रही। अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करते समय यह हिदायत दी गई कि अपील के फैसला में काफी समय लगता है अतः हर पेशी पर आने की जरूरत नहीं होगी जब बुलाया जावे तथा अपीलान्टस को आना होगा। अपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता के बुलाये जाने पर हाजिर होते रहे। उक्त मुकदमा में गत पेशी दिनांक 19 जून, 2015 नियत थी तथा अपीलार्थीगण को पेशी पर नहीं बुलाया हुआ था और ना ही उनको पेशी की जानकारी थी अतः वह हाजिर नहीं हो सके। अगले राजे प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि मुकदमा दिनांक 19 जून, 2015 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया है। अतः मुकदमा को रेस्टोर करवाया जाना है इसलिए प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण आए क्योंकि प्रार्थना पत्र उनकी आरे से लगाया जाना है इस पर प्रार्थीगण प्रेमी वकील से मिलने पर पता चला कि मुकदमा में आवाज होने पर वह अन्य अदलात में अन्य मुकदमा में पैरवी में व्यस्त थे, इसलिए हाजिर नहीं हो सके तथा मुकदमा खारिज कर दिया गया इस प्रकार से ना तो प्रार्थीगण ने दिनांक 19 जून, 2015 जानबूझ कर गैरहाजिर रहे और ना ही वकील अपीलान्टस ने की। यह भी पता चला कि मुकदमा करीब 11 बजे खारिज कर दिया गया जबकि नियमानुसार अदालत का समय 6 बजे तक का होने से 5:30 पी.एम से पहले मुकदमा को खारिज नहीं किया जा सकता था, अतः मुकदमा को रेस्टोर किया जाना व वाजबा न. कायम कर आगामी कार्यवाही करना न्यायहित में आवश्यक है वरन प्रार्थीगण बिना वजह न्याय से वंचित रहेंगे। कान्हाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 21 जून, 1986 को अपनी स्वेच्छा से वसीयत की गई जो तस्दीकशुदा है अतः वसीयत के आधार पर इंतकाल करना

को वसीयत के बारे में पूरी जानकारी रही वसीयत की नकल ...
की मृत्यु 10 जून, 1993 को हुई। अतः मामला प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट होता है इसलिए अपील को रेस्टोर कर आगामी कार्यवाही करना आवश्यक है वरना प्रार्थीयान न्याय से वंचित रहेंगे। पत्रावली अनवानी प्रेमी बाई आदि बनाम ग्राम पंचायत कालियां आदि अपील अन्तर्गत धारा 75 अपील सं. 12/2008 जो दिनांक 19 जून, 2015 को अदम पैरवी में अदम हाजरी में खारिज की गई है कि पत्रावली तलब कर साथ लगाकर अपील को रेस्टोर करने वाजबा नंबर पर कायम कर आगामी कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 4 स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेंट के द्वारा रेस्पोडेंट–4 मूली (मूलादेवी) की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार लोंगादेवी को नोटिस उसके सही पते पर उसी पर तामील कराये जावे। नोटिस लोंगाबाई संलग्न है। सम्बन्धित प्रार्थना ।पत्रों की नकले दिलाई जावे। उक्त साजबाज व धोखाधडी के लिए दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा दिये जाने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेंट–4 मूली (मूलादेवी) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रत्यावर्तन आवेदन बिना वकालतनामा पोषणीय नहीं है। अनुपस्थित रहने वला अधिवक्ता आवेदन पेश करने हेतु समक्ष नहीं है। घोर असावधानी के आधार पर निरस्ती प्रतिपक्षी के सहमति से भी प्रत्यावर्तन योग्य नहीं है। आवेदक की ओर से निरस्ती का आधार पक्षकार को अधिवक्ता द्वारा सूना न देना होने पर तभी मान्य है। जब पक्षकार ने अधिवक्ता की शिकायत की हो। मूल वाद में आवदेक–वादी अपीलार्थी के हक में सबल मामला न होने पर प्रत्यावर्तन का आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। वारिसों के आधार पर नामांतरण प्रतिपक्ष के हक में वसीयत होना कहने से अपास्त नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को स्वतंत्र कार्यवाही करनी होगी। प्रत्यावेदन का आवेदन समस्त पक्षकारों पर तामील कराये बगैर पोषणीय नहीं। लोंगा बाई उर्फ लोगा देवी जयपुर में रहती है। कालियां में नहीं रहती है व लोंगा देवी के पते पर आज तक नोटिस तक नहीं भेजे गये है। न ही सही पते पर भेजने हेतु पेश किये गये हैं। कार्यालय ग्राम पंचायत कालियां द्वारा प्रदत्त नामांतरण निरस्त करने हेतु जिस वसीयतनामे को आधार बनाया गया है, उसके आधार पर ाीी लाभान्विति को कोई आधार नामान्तरण में परिवर्तन का नहीं मिलता। वरिष्ठ सेटलमेंट अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रदत्त आवंटन पत्र में भी आवंटी कानाराम के अलावा उसकी पत्नी रेशमा, लोगा, सुंदरी व मूली का नाम परिवार के सदस्यों के रूप में दर्ज है। अतः ये या इनके वारिस ही बहिस्सा बराबर बराबर ही आंवटी है। मूल अपील ही नामांतरण 483 दिनांक 20.04.2007 के एक साल से अधिक अरसे के बाद और वसीयत करेन वाले कानाराम की मृत्यु दिनांक 10.06.1993 के लगभग 15 साल बाद पेश होने से मियाद बाहर है। प्रार्थी अपीलार्थी के महिलाएं होने से उसके हक में असाधारण सहानुभूति से निर्णय नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे प्रतिपक्षी भी महिलाएं हैं। अपीलार्थी की ओर से एक वाद इस अपील में अधियाचित अनुतोष के समान अनुतोष अधियाधित करते हुए पेश किया हुआ है जो वादी की साक्ष्य के अभाव में खारिज होने वाला है। अतः अपील न्याय के सिद्धान्त से बाधित है तथा धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत स्थगित की जाने योगय है। आवेदनाधीन अपील के खारिज होने पर दावा भी खारिज किये जाने योग्य है। आवदेन की मद एक जिस प्रकार से प्रारूपित की गई है मिथ्या है। नामान्तरण बिल्कुल सही किया गया है। जो मृतक की पत्नी रेशमा देवी ने सब वारिसों की सहमति से कराया है। यदि रेशमा देवी को वसीयत के आधार पर नामांतरण करना होता तो उसे ऐसा करने से अपीलार्थीगण द्वारा रोका जाना चाहिए था। कानाराम की मृत्यु दिनांक 10.06.1993 को हुई तो मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण को तथा कथित वसीयत पेश कर नामांतरण कराना था। अब वे अलग से सवतंत्र कार्यवाही किए बिना वर्तमान नामांतरण को चुनौती नहीं दे सकते। उन्हें नामांतरण से पूर्व नहीं बुलाया गया हो तो भी चुनौती नहीं दे सकते थे। ऐसे किसी कथन का समर्थन उनके वकील द्वारा भी नहीं किया गया है। अपीलार्थी फोन से तो अपनी अपील के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते थे पर जानकारी प्राप्त न करके अपीलार्थीगण ने घोर गफलत की। पत्रावली प्रत्यर्थी की तलबी हेतु 12.10.2011 से चल रही है। अपीलार्थीगण ने सम्मन तलवाना तक पेश नहीं किया। दिनांक 11.03.2015 को तलबी पंजीकृत पत्र से कराने का आदेश लगभग 3.5 साल बाद हुआ फिर भी अपीलार्थीगण ने घोर गफलत में आदेश की पालना 13.04.2015 ... 15.06.2015 को नहीं की। अंतिम अवसर देने पर भी 19.06.2015 को

आदेश की पालना न करने पर अपील खारिज हुई। अतः इस मद में दिया गया कारण मानने योग्य नहीं। समाचार किसी व्यक्ति के हाथ आया या फोन से या वकील महोदय ने अपीलार्थी को स्वयं व्यक्तिगण रूप से सूचना दी। अतः इस तथ्य को मानने का भी कोई आधार नहीं। यदि प्रश्नगतः आवेदन पेश करने की तिथि 17.07.2015 से एक दिन पूर्व समाचार आया होता तो यह आवेदन दिनांक 22.06.2015 को टाइप नहीं होता। यह असंभव है कि सालों तक अपीलार्थीगण ने अपने प्रकरण की सुध न ली और उनके वकीलो को कई सालों तक आवाजे न लगी हों। आदेशिका दिनांक 19.06.2015 में भी स्पष्ट अंकित है कि अपीलार्थी को आवाजे लगवाई गई। अतः न्यायालय की आदेशिक को मिथ्या बताने का प्रार्थी अपीलार्थीगण का कथन किसी भी हालत में भरोसे योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण ने जान बूझ कर शपथपत्र मिथ्या कथन किया है। यदि अपीलार्थीगण के सारे वकील अन्य न्यायालय में व्यस्त होते तो वे सारे दिन में कभी भी न्यायालय को अपनी व्यवस्तता की सूचना देकर प्रसगन अधियाचित कर सकते थे। समय 11:00 ए.एम. पर न्यायालय में कभी भी कोई मुकदमा अदम पैरवी या अदम हाजरी में खारिज नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता तो अपीलार्थीगण के वकील न्यायालय के समय हाजिर होकर न्यायालय से अपील रेस्टोर करने की प्रार्थना कर सकते थे और न्यायालय मौखिक अधियाचना पर ही प्रकरण प्रत्यावर्तित कर देती। यदि ऐसा होता तो अपीलार्थीगण के वकील अपीलार्थीगण को तुरन्त एक दो दिन में ही सूचित कर देता उन्हें 27–28 दिन तक इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं होती। सारे कथन कपोल कल्पित है। उनके वकील द्वारा भी इन तथ्यों का समर्थन नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने यह नहीं बताया कि तथाकथित तस्दीकशुदा वसीयत किसके पास थी। उनके कब्जे में थी या नहीं। उन्होंने मृतक वसीयतकर्ता के जीवनकाल में वसीयतकर्ता से जानकारी मिलया या नहीं। यदि नहीं तो उन्होने वसीयत के अनुसार कृषि भूमि पर कब्जा कैसे कर लिया। वसीयत की नकल उन्हें कहां से प्राप्त हुई। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अतः किसी भी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी प्रार्थीगण न्यायालय में शुद्ध मन से आये हों। अतः निवेदन है कि आवेदन प्रार्थी अपीलार्थीगण खर्चे, विशेष खर्चे व अनुकरणीय खर्चे से खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपस्थित तथ्यों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

।। आदेश ।।

प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित प्रकरण दिनांक 19.06.2015 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया है एवं प्रकरण को रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2015 को पेश किया गया जो 29 दिन की देरी से पेश किया गया एवं देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। प्ररकण को रेस्टोर करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण पूर्व में भी अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी पी सी पोषणीय नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलाशुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय पक्षकारान की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09 अप्रेल, 2018 को जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर